



Continuous Form (Lower half)


Name of Village
 अरगोडा

थाना
 थाना नम्बर 206

Name of Landholder
 नाम लगान पानेवाला

Page
 सफा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
956	अंगल अहला बलद कोबध अहला कोम तिली शाहीन देह	कापडा		आल 22-8-0 आल 22-8-0 दर आना			खीरु कोव	कोव	उ. जय अहला द. दोन अना नाल महला	कोव	9		20		20	
				श्रीवा वि. 239 हसन दामा 23			खीरु कोव	कोव	उ. श. जय नाम महला द. दोन नीका	कोव	99		92X		92X	
				आल मो. 22-98-0 बनी श. 22-98-0 अ. 22-98-0			खीरु कोव	कोव	उ. दोन नीका द. 22-98-0	कोव	9		98		98	
				अ. 22-98-0 अ. 22-98-0			खीरु कोव	कोव	उ. 22-98-0 द. नका	कोव	98		963		963	
				अ. 22-98-0 अ. 22-98-0			खीरु कोव	कोव	उ. दोन लका द. श. शाहीन	कोव	9		952		952	
				अ. 22-98-0 अ. 22-98-0			खीरु कोव	कोव	उ. 22-98-0 द. 22-98-0	कोव	9		93		93	
				अ. 22-98-0 अ. 22-98-0			खीरु कोव	कोव	उ. दोन लका द. श. शाहीन	कोव	2		2V		2V	
				अ. 22-98-0 अ. 22-98-0			खीरु कोव	कोव	उ. दोन लका द. श. शाहीन	कोव	9		72		72	



नाम: राजेश्वरी
 पं.सं.: १०६

श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०१ ०१
 ०१ ०१
 ०१ ०१

राजेश्वरी
 राजेश्वरी

श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०२ ०२
 ०२ ०२
 ०२ ०२



श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०३ ०३
 ०३ ०३
 ०३ ०३

श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०४ ०४
 ०४ ०४
 ०४ ०४

श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०५ ०५
 ०५ ०५
 ०५ ०५

१. राजेश्वरी
 २. राजेश्वरी
 ३. राजेश्वरी
 ४. राजेश्वरी
 ५. राजेश्वरी
 ६. राजेश्वरी
 ७. राजेश्वरी
 ८. राजेश्वरी

राजेश्वरी
 राजेश्वरी
 राजेश्वरी
 राजेश्वरी

श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०६ ०६
 ०६ ०६
 ०६ ०६

श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०७ ०७
 ०७ ०७
 ०७ ०७

श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०८ ०८
 ०८ ०८
 ०८ ०८

श्री १०६
 श्री १०६
 श्री १०६

०९ ०९
 ०९ ०९
 ०९ ०९

राजेश्वरी
 राजेश्वरी

राजेश्वरी
 राजेश्वरी

11167

9823



4.8
 01/10
 9
 02/10

50
 01/10
 15/10

1899 की तरफ...
 1899 की तरफ...
 1899 की तरफ...
 1899 की तरफ...

03AA 382792
 3060
 45
 250
 0

शहीद भूमि हट...
 धारा 20 के तहत...
 सपना नोटिस...
 बाद में...
 मुका है।

20/10/03
 22/10/03
 31/08/03

24/10
 प्रकार सम्पन्न हुआ:-

लेख्यकारी - श्री ईश्वर लाल साहु पिता स्व० बलदेव साहु
 जन्म ति. तेलिक वैश्य पेशा खेती निवास स्थान
 अरगोड़ा थाना + पो० अरगोड़ा जिला राँची
 झारखण्ड।
 भारतीय नागरिक - - विक्रेता।


12815
 7625
 3050
 23490

लेख्यधारी - 1- श्री अनील साहु 2- मनोहर साहु पिता
 स्व० फान साहु 3- मसीमात सरस्वती देवी
 पति हरिभ साहु जन्म ति. तेलिक वैश्य, पेशा-
 खेती निवास स्थान अरगोड़ा थाना-
 अरगोड़ा जिला राँची। झारखण्ड
 भारतीय नागरिक - - विक्रेता।

20/10/03
 16-10-2003

Income tax
 No. 37 G. F.
 dated 20/10/03

20/10



-2-

03AA 382793



प्रकार- सम्पूर्ण बिक्रय पत्र हमेशा के लिए ।
 मूल्य - मौत 1,52,500/- एक लाख बावन हजार
 पाँच सौ रुपया ।
 जमीन्दार - झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय सदर, राँची।
 आंशिक सलाने मालगुजारी 50 पैसा ।

सम्पत्ति का विवरण- भवाजी रकवा 05 $\frac{1}{4}$ डीसमिल जमीन हकियत
 काश्मीरी रैयती दखली अफना हिस्सा वाके मौजा-
 अरगोड़ा थाना अरगोड़ा थाना नं० 207 जिला
 राँची। जिला कलकत्ती निबंधन पदाधिकारी एवं
 अवर निबंधन पदाधिकारी, राँची।

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	मधे रकवा
197	2550	0.08 डी०	05 $\frac{1}{4}$ डी०
एक सौ सन्तानवे।	पच्चीस सौ पचास ।		सवा पाँच डीसमिल।

24/2/1963
 16-10-2003

1000Rs.



-3-

जो ट्रेस नक्शा में रंग लाल से रंगकर दर्शाया गया है जो इस विक्रय पत्र का अभिन्न अंग है साथ विक्रय पत्र के संलग्न है।

चौहद्दी:- उत्तर- नीज क्रेता

दक्षिण- बैजनाथ साहू वगैरह

पूरुब - नीज क्रेता

पश्चिम - नीज क्रेता

विदित हो कि उपर्युक्त जमीन आर०एस० खतियान में मंगल महतो पिता कोल्हा महतो के नाम से कास्मी दर्ज है।

विदित हो कि खतियानी रैयत मंगल महतो अपने पीछे

तीन पुत्र क्रमशः 1- बलदेव साहू 2- जीतू साहू वी 3- हिरण साहू को छोड़कर इन्तकाल कर गए।

22/11/2013
16-10-2003



-4-

यह भी विदित हो कि इन तीनों भाइयों ने आपसी पारिवारिक बँटवारा कर अपने अपने हिस्से में शान्तिपूर्ण रूप से दखलकार चले आ रहे हैं।


यह भी विदित हो कि बलदेव साहू अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः 1- ईश्वर लाल साहू 2- लीलाम्बर साहू 3- सन्तु साहू को छोड़कर इन्तकाल कर गए।

यह भी विदित हो कि इन तीनों भाइयों के बीच आपसी पारिवारिक बँटवारा किस और अपने अपने हिस्से में शान्तिपूर्ण दखलकार चले आ रहे हैं।

तथा अंजल कार्यालय में मालगुजारी देकर रसिद प्राप्त करते आ रहे हैं।

इस प्रकार विक्रेता अपने पैतृक सम्पत्ति में जो विक्रेता को हिस्सा में मिला है उसपर शान्तिपूर्ण रूप से स्वामित्व वो अधिकारी

ईश्वर लाल 20/13
96-90-2008



-5-



दूर और बराबर निर्विघ्न दखलकार चले आ रहे तथा
हस्तान्तरणीय योग्य है।

यह विदित हो कि विक्रेता को काम ज़रूरी वो पारिवारिक खर्च के लिए एवं अन्यान्य कार्य के लिए रुपये की आवश्यकता रहने के कारण उपर्युक्त भूमि विक्री करने के लिए आम लोगों के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर क्रेतागण 'खरीददार' महोदय ने उक्त भूमि खरीदने का इच्छा व्यक्त किये। दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत के आधार पर उक्त जमीन की कीमत मो० 1,52,500/- रुपया में तय हुआ। और एकरारनामा से 75,000/- रुपया चेक नं० 288261 दिनांक 20-5-03 ई० पी०एन०बी० ब्रांच अरगोड़ा द्वारा पाया।

तत्पश्चात विक्रेता एवं क्रेता रजिस्ट्री की कारवाई पूरी करने हेतु शहरी भूहदबंदी अधिनियम 1976 की धारा 26 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन दिनांक 26-6-03 को सक्षम पदाधिकारी, रॉकी के समक्ष दिया, जिसका आवेदन संख्या 1478 है। उक्त आवेदन की तिथि से 60 दिन बीत चुका है और किसी प्रकार का आदेश या सूचना सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं दी गई है। इसलिए नियमानुसार विक्रेता को जमीन विक्री करने का स्वतः अधिकार प्राप्त हो गया।

29/2/13
76-90-2003




-6-

अतः विक्रेता अपने तन मन की स्वास्थ्य अवस्था में अपना हित लाभ का विचार कर बिना किसी अन्वय के दबाव, धमकाव, बहकाव या प्रलोभन के प्रतिफल के बदले सब प्रकार के ऋण भार से मुक्त स्तम्भ छव की वर्णित भूमि मो 0 1, 52, 500/- रुपया में लेख्य धारी के हाथ बेचा एवं हस्तान्तरित किया और सुपुर्द किया एवं हमेशा के लिए दखल अर्पण कर दिया तथा प्रतिफल की राशि 77, 500/- रुपया में चेक द्वारा वो नगद राशि लिख्य पत्र द्वारा वसूल पाने का स्वीकार एवं अंगीकार की पुष्टि की जाती है अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

विक्रेता घोषणा करते हैं कि आज तक विक्रेता या इनके उत्तराधिकारी का जिस प्रकार का हक, दावा, अधिकार, लाभ प्रभुत्व जमीन पर था एवं होता वह सब कुल, स्वत्व, अधिकार, हित, लाभ क्रेतागण खरीददारों को हो गया और वंशानुगत प्राप्त होता रहेगा।

हरपल लाल 24/3
96-70-2002

100Rs.




-7-

विक्रेता यह भी घोषणा करते हैं कि विक्रीगत सम्पत्ति हर प्रकार से शुद्ध स्वच्छ और निर्मल है और ऋणभार से मुक्त है इसपर किसी अन्य का दखल कब्जा नहीं है और किसी प्रकार का झगडा इंडिट या मामला मुकदमा नहीं है।

यह कि लेख्यकारी का उक्त सम्पत्ति पर किसी तरह का हक, दावा, अधिकार या आपत्ति नहीं करेंगे न करावेंगे। उक्त सम्पत्ति में हाल या आइन्डे कभी किसी तरह का विक्रेता या इनके उत्तराधिकारी या अन्य किसी के हक, दावा, अधिकार करें या आपत्ति करें तो यह कानूनन गलत एवं नाजायज समझा जायगा।

ई. १२ लाल साहू
१६-१०-२००३

100Rs.



-8-

यह कि लेख्यधारी अब विक्रीगत सम्पत्ति में
स्वामित्व होकर वो अधिकारी होकर वंशानुगत भोग
उपभोग किया करें और जिस रूप में चाहे उसे उसी
रूप में लावे या विक्री, दान, बसीयत, बंधक इत्यादि
जिस तरह का हस्तान्तरण करना चाहें करें या उक्त
सम्पत्ति में चाहर दिवारी, कुओं वारी बनावे,
इत्यादि जैसा फायदा समझे किया करें।

8292 लाल 2113
96-10-2003

100Rs.




-9-

अब क्रेतागण । खरीददारों । को पूर्ण अधिकार है कि

सम्बंधित अंचल कार्यालय में अपने नाम से दाखिल खारीज कराकर
तालाने मालगुजारी देकर खास अपने नाम से रसीद लिया करे
या जरूरतनुसार अपने अमल में लावे इसमें विक्रेता या इनके
उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं होगा और न ही
कभी आपत्ति करेंगे।

यह भी यदि विक्रेता या इनके भावी उत्तराधिकारी
की बदनीयती या गलत कारवाई के कारण उक्त भूमि में

8292 माल 2113
96-90-2003




-10-

दोष पाया जाय और यह कि उक्त जमीन से क्रेतागण

को किसी भी अंश में बेदखल हो जाय या हानि उठानी पड़े तो क्रेतागण को पूर्ण अधिकार होगा कि हानि और क्षति की पूर्ति विक्रेता या इनके उत्तरदायी से भरपाई करा लें और अगर भविष्य में यदि विक्रय पत्र सम्बंधित कोई त्रुटि हो तो सुद्धि पत्र या परिपूरक पत्र लिखने की आवश्यकता होगी तो विक्रेता ऐसे कुल काम काज करने को प्रस्तुत रहेंगे।

2012 माल 2113
16-10-2003




-11-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन तियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिए किया गया है न ही भूदान की जमीन है यह वन सीमा से बाहर है तथा बी०सी०सी०एल या ई०सी०एल की भी जमीन नहीं है।


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भूमि आदिवासी खाते की नहीं है न ही आदिवासी से संबंधित है जमीन सिलिंग से मुक्त है। विक्रीवाली जमीन मठ, मंदिर, गिरजा या मस्जिद की नहीं है। जमीन भुईहरा, कुटकी या आस महल की भी नहीं है। न ही उक्त जमीन सरना, मसना, हडगडी पहनई की है तथा उक्त भूमि पशुपालन घोटाला, भूमि घोटाला एवं किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थान में बंधक नहीं है। इस आशय की एक शपथ पत्र जिसकी सं० 172 दिनांक 20.10.03 ई० है जो इस दस्तावेज के साथ संलग्न है।

2012 04/10 21/3
96-70-2003

20 Rs.



-12-



एकल दस्तावेज एवं द्वितीय प्रति एक दूसरे के हु-ब-हु एवं सच्ची प्रतिलिपि है।

ग्राहक का हस्ताक्षर

बिक्रेता का हस्ताक्षर

1. मन्दीप कुमार साहू

242 लाल साहू
16-10-2003

2. अरजु राम साहू
अ(गाँव) रोधी
मा(2405)

3. रूपनारायण साहू
अ(गाँव) रोधी
मा(1905)
17.10.03

टंकण
जी. 0 लाल

इसफ्तकार

पुस्तक विक्रेता का हस्ताक्षर
Gourav Choudhary
17.10.2003

Receipt
20.10.03